राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष नं0:–0141–2740837,, फैक्स:– 0141–2742309, ई मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:–एफ.4(ई)(ए–2023)/अलेसे–III/10422 दिनांक:– 23.12.25

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 227/2024–25 दिनांक 11.01.2025 के द्वारा सुश्री चन्द्रा, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 776251 बैच 2023) (परिवीक्षाधीन प्रशिणार्थी) को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति देते हुए कार्यालय कोषाधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर में पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में सुश्री चन्द्रा द्वारा दिनांक 14.01.2025 को मध्यान्ह् पूर्व कार्यग्रहण किया गया। वर्तमान में विभागीय आदेश संख्या 284/2025–26 दिनांक 06.04.2025 के द्वारा सुश्री चन्द्रा का पदस्थापन कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धुन्धाड़ा, जोधपुर में किया गया है।

सुश्री चन्द्रा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के पत्र क्रमांक 1809–1814 दिनांक 16.12.2025 के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2025 इस विभाग को प्रेषित करते हुए अवगत कराया है कि उनका आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान, जयपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर चयन होने पर उन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के वर्तमान धारित पद से कार्यमुक्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतः सुश्री चन्द्रा को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर वर्तमान धारित कनिष्ठ लेखाकार के पद से त्याग–पत्र स्वीकार करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। सुश्री चन्द्रा अपने वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ही नव पदस्थापन विभाग आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान, जयपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण कर सकेगी। इनके कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति संबंधी समस्त अधिकार समाप्त किये जाते हैं।

23/12/2025

(संध्या शर्मा),
निदेशक एवं पदेन,
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:–एफ.4(ई)(ए–2023)/अलेसे–III/10422 दिनांक:–23.12.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
3. सुश्री चन्द्रा, कनि. लेखाकार कार्यालय पता ग्राम भारी नगर, पोस्ट धन्नारीकला, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
5. पदस्थापन सीटी/निजी/रक्षित पत्रावली।

23/12/25

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

D:\UPASNA JI\ORDER.DOCX:- 60